



Automotive Parts Merchants Association (Regd)
10, 1st Floor, Vardan House, Chabi Ganj,
Kashmere Gate, Delhi -110006
Phone : Office : 23967505, 23948000

SHANKAR LAL AGARWAL
ELECTION COMMISSIONER, APMA
2018-2020

M/s. GANGANAGAR AUTOMOBILES
2799, Bara Bazar
Kashmere Gate, Delhi-110006
Ph: Office : 23961269, 8254006006

To : All the members
of A.P.M.A.

Circular No : 02
APMA/ELECTION 2018-2020

Date : 1-8-2018

A.P.M.A ELECTION - 2018-2020

Dear Fellow Members,

In continuation of the earlier circular No.1 dated 11th July, 2018, members will please note that the election of the President and 20 members of the Governing Council of APMA for the period 2018-2020 will take place on Wednesday the 19th September, 2018 under rule 9(ii). It is sincerely desired that the members of the Association will participate in full strength to elect their new leader & team for the next term.

While announcing the Election Schedule, I seek co-operation from one and all associated with our organisation to see through fair procedure of elections.

ELECTION SCHEDULE

- | | |
|---|--|
| 01. <u>ISSUING OF NOMINATION FORMS</u> | THURSDAY the 16 th AUGUST, 2018
to SATURDAY the 1 st SEPTEMBER, 2018
<u>2.00 P.M. to 5.00 P.M.</u> |
| 02. <u>LAST DATE OF FILING OF NOMINATION PAPERS</u> | TUESDAY the 4 th SEPTEMBER, 2018
<u>upto 5.00 P.M.</u> |
| 03. <u>SCRUTINY OF NOMINATION PAPERS</u> | WEDNESDAY the 5 th SEPTEMBER, 2018
<u>at 2.30 P.M.</u> |
| 04. <u>PRELIMINARY LIST OF VALID CANDIDATES</u> | THURSDAY the 6 th SEPTEMBER, 2018 |
| 05. <u>WITHDRAWAL FROM CONTEST</u> | SATURDAY the 8 th SEPTEMBER, 2018
<u>upto 5.00 P.M.</u> |
| 06. <u>CIRCULATION OF FINAL LIST OF CONTESTING CANDIDATES</u> | MONDAY the 10 th SEPTEMBER, 2018 |
| 07. <u>ELECTIONS</u> | WEDNESDAY the 19 th SEPTEMBER, 2018
<u>9.30 A.M. to 5.30 P.M.</u> |
| 08. <u>COUNTING OF VOTES</u> | THURSDAY the 20 th SEPTEMBER, 2018
<u>from 9.30 A.M. onwards</u> |

Except the Elections on Wednesday the 19th September, 2018 & Counting on Thursday the 20th September, 2018 all the above activities will be performed only on working days unless otherwise notified and these will be performed at APMA BHAWAN, No: 10, 1st Floor, Vardan House, Chabi Ganj, Kashmere Gate, Delhi -110006 (Telephone No : 23967505, 23948000).

Election and Counting process will take place at Tikona Park, Kashmere Gate, Delhi-6.

अपमा चुनाव - 2018-2020(आचार संहिता 'अ')/प्रक्रिया

1. नामांकन पत्र प्राप्त करना

- क. अपमा कार्यालय से नामांकन पत्र 16 अगस्त 2018 से 1 सितम्बर 2018 तक दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे के मध्य जारी होंगे।
- ख. लैटर हैड पर अर्थात् फर्म के पत्र पर एक फर्म को अधिकतम दो नामांकन पत्र दिये जायेंगे। फार्म शुल्क हेतु 50/- रूपये प्रति फार्म नगद देने होंगे (प्राप्ति रसीद अवश्य लें)
- ग. नामांकन पत्र लेने हेतु फर्म की पूरे पते की मोहर साथ लानी होगी।
- घ. कम से कम एक सत्र (दो वर्ष) तक अपमा में कार्यकारिणी पद पर रह चुके उम्मीदवार ही प्रधान पद के लिए अपना नामांकन पत्र भर सकेंगे।
- ङ. कम से कम एक सत्र (दो वर्ष) तक अपमा के सदस्य रह चुके उम्मीदवार ही कार्यकारिणी पद हेतु अपना नामांकन पत्र भर सकेंगे।
- च. अपमा संविधान की धारा 19VI(a) & (b) के अनुसार उम्मीदवार को प्रधान पद के लिए नामांकन शुल्क 1000/- रूपये एवं कार्यकारिणी पद के लिए नामांकन शुल्क 500/-रूपये अपमा कार्यालय में नगद जमा कराना होगा। ये नामांकन राशि उम्मीदवार की न तो धरोहर (Security) के रूप में जमा रहेगी और न ही उम्मीदवार को किसी भी परिस्थिति में वापिस की जाएगी।
- छ. एक फर्म से एक ही उम्मीदवार एक पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। प्रधान अथवा कार्यकारिणी के पद हेतु अलग-अलग नामांकन पत्र भरने होंगे। यदि उम्मीदवार ने प्रधान व कार्यकारिणी के दोनों पदों के लिए नामांकन पत्र भरा है तो उसे दोनों में से एक पद से अपना नाम वापस लेना होगा। नाम वापस नहीं लेने पर दोनों पदों के फार्म निरस्त कर नामांकन राशि जब्त कर ली जाएगी।
- ज. अपमा संविधान की धारा 19VII-(d) & (e) का पालन करते हुए उम्मीदवार को "declaration" के रूप में लिखित घोषणा पत्र देना होगा कि वे वर्तमान में अपमा के समानान्तर किसी संस्था में किसी भी पदाधिकारी या कार्यकारिणी के पद पर आसीन नहीं हैं, और न ही वे अपमा में किसी पद पर रहते हुए, वे अपमा के समानान्तर संस्था में कोई पद ग्रहण करेंगे। इसकी परिपालना न हाने पर वे उम्मीदवार अयोग्य घोषित होंगे और अपमा में ग्रहण पद से उनको त्यागपत्र देना होगा। (declaration नामांकन पत्र में लिखी हुई है उसे स्वीकार करना होगा)।
- झ. उम्मीदवार के नामांकन पत्र को अनुमोदित करने वाले Proposer and Seconder अलग-अलग फर्मों से नामीनी होने चाहिए एवं दोनो अपमा के सदस्य होने चाहिए जिन पर संस्था का कोई सदस्यता शुल्क राशि बकाया नहीं होनी चाहिए।
- ध्यान दें :- किसी भी फर्म का नोमीनी केवल एक बार ही किसी का अनुमोदन (Propose) एवं एक बार ही (Second) समर्थन कर सकता है।

2. अपमा कार्यालय में नामांकन पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि
- क. 4 सितम्बर 2018 को सांय 5.00 बजे तक नामांकन पत्र जमा कराये जा सकेंगे।
- ख. अपमा कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित नामांकन पत्र ही स्वीकार्य होंगे।
- ग. नामांकन पत्र आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत फर्म के सील बन्द लिफाफे में जमा कराने होंगे।
- घ. उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र में कटिंग, ओवरराइटिंग, गलत सूचना देने, तथ्य छिपाये जाने पर नामांकन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
- ङ. नामांकन पत्र में सूचानाएँ कार्यालय के रिकार्ड क अनुसार ही मान्य होंगी।
- च. एक फर्म से केवल एक नोमीनी ही चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, तथा यदि फर्म साधारण सदस्य है तो उसका वर्ष 2017-2018 तक का सदस्यता शुल्क 10-08-2018 तक भुगतान कर दिया हो अथवा वह आजीवन सदस्य हो।
- छ. नामांकन पत्र जमा करते समय लिफाफे पर उम्मीदवार का नाम, जिस पद के लिए चुनाव लड़ रहा है, वह पद, अवश्य लिखा होना चाहिए।
- ज. नामांकन पत्र जमा करते समय शुल्क प्राप्ति रसीद अवश्य लेनी होगी।
3. अपमा कार्यालय में नामांकन पत्रों की जांच
- क. 5 सितम्बर 2018 को अपराहन् 2.30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच शुरू की जायेगी।
- ख. जांच के समय उम्मीदवार की सहमति से ही नामांकन पत्र को दिखाया जायेगा।
- ग. जांच के समय उम्मीदवार को प्राप्ति रसीद साथ लानी होगी। जांच के समय केवल उम्मीदवार को ही आने की अनुमति होगी।
4. नामांकन पत्रों की वापिसी
- क. उम्मीदवार शनिवार दिनांक 8 सितम्बर 2018 को सांय 5.00 बजे तक चुनाव मैदान से अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापिसी के लिए उम्मीदवार को अपनी फर्म के लैटर हैड पर फर्म की मोहर सहित हस्ताक्षर कर लिखित रूप में वापिसी हेतु पत्र देना होगा।
- ख. यदि कोई उम्मीदवार अपना नाम चुनाव मैदान से वापिस लेता है अथवा उसका नामांकन पत्र किसी त्रुटिवश जांच में निरस्त हो जाता है, तो उम्मीदवार की नामांकन राशि वापिस नहीं होगी।
- ग. नामांकन पत्रों की जांच का अन्तिम निर्णय चुनाव आयुक्त का होगा एवं सर्वमान्य होगा।
- कृपया ध्यान दे — दिनांक 11-7-2018 को प्रकाशित सरकूलर नं0 1 में सूचित किया गया था कि यदि किसी भी व्यापारी भाई को अपनी फर्म का नोमीनी बदलवाना (Change) हो तो **5 सितम्बर 2018** तक आवेदन कर सकता था चूंकि चुनाव की तिथि निर्धारित की जा चुकी है इसलिए अब तिथि को बदलकर 31 अगस्त 2018 निर्धारित की जाती है।

(शंकरलाल अग्रवाल)
अपमा चुनाव आयुक्त
सत्र 2018-2020

शंकरलाल अग्रवाल